



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21082024-256517
CG-MH-E-21082024-256517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 471]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 510(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में राजभाषा काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग [राजभाषा काडर] भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन - ये नियम इन नियमों से संलग्न उपाबद्ध के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स का स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्र सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. प्रारंभिक संघटन- ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और निदेशक (राजभाषा) का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा संबंधित श्रेणियों में की गई उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स के स्तर	चयन पद अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	24* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट।)	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

<p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा। पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी;

		(क) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो; अथवा (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में यथा निर्दिष्ट सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखता हो।
--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं: 1. परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासन से संबंधित निदेशक या उप सचिव - अध्यक्ष; 2. पञ्जवि/किसी भी संघटक इकाई के उप निदेशक (राजभाषा), - सदस्य; 3. किसी संघटक इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	19* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए)।	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। टिप्पण 2 - अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। टिप्पण 3 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :- (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासन से संबंधित निदेशक या उप सचिव - अध्यक्ष; 2. पऊवि/किसी भी संघटक इकाई के उप निदेशक (राजभाषा), पऊवि/किसी भी संघटक इकाई - सदस्य; 3. किसी संघटक इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों, अर्थात :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,

<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि मामला हो, साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक निदेशक (राजभाषा)	16* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए)	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	पदोन्नति अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>विभागीय अहर्कता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - अभ्यर्थियों के चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का समावेश किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :-</p> <p>i. जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हो; अथवा</p> <p>ii. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों, अर्थात:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक (राजभाषा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के केंद्रीकृत संवर्ग के प्रभारी निदेशक या उप सचिव - सदस्य; 4. किसी भी संघटक इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य। <p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव / संयुक्त सचिव / प्रभारी अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति / परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक (राजभाषा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के केंद्रीकृत संवर्ग के प्रभारी निदेशक या उप सचिव - सदस्य; 	
--	---	--

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि मामला हो, साधारणता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उप निदेशक (राजभाषा)	9*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (56100-177500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना आवश्यक है। पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; संयुक्त सचिव / प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के अलावा अन्य किसी यूनिट के प्रमुख – सदस्य। नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य। 	लागू नहीं होता।

विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :-

- (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हो; अथवा
- (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-17750 रुपए) में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों, अर्थात :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के

<p>रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि मामला हो, साधारणता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	2* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-12 (78800-209200 रुपए)	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा।</p> <p>टिप्पण 3 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :-</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हो; अथवा</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य; 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 4. संयुक्त सचिव / प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के बाहर से नामित एक व्यक्ति - सदस्य; 6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नामांकित व्यक्ति - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों, नामतः:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि

मामला हो, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. निदेशक (राजभाषा)	1*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-13 (123100-215900 रुपए)	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे संयुक्त निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण 2 - प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा।</p> <p>टिप्पणी 3 - जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य; 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. संयुक्त सचिव / प्रभारी अधिकारी, (राजभाषा कार्यान्वयन समिति), परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के बाहर से नामित एक व्यक्ति – सदस्य; 6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नामांकित व्यक्ति – सदस्य। 	लागू नहीं होता।

के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :-

- (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हो; अथवा
- (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों, नामतः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप

में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री ;

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि मामला हो, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समाप्त तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं हो।

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th August, 2024

G.S.R. 510(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Official Language Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Official Language Cadre) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution.- The incumbents holding the posts of Junior Translation Officer, Senior Translation Officer, Assistant Director (Official Language), Deputy Director (Official Language), Joint Director (Official Language) and Director (Official Language) shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Translation Officer	24* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	Essential educational qualifications: (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

<p>Note- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Division of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.</p>	<p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(ii) Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa from a recognised institute or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled in by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note- Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administration,-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruit under column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion / Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary dealing with Administration, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Deputy Director (Official Language), DAE / any constituent unit - Member; 3. Chief Administrative Officer of any constituent unit - Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Translation Officer	19* (2024) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Junior Translation Officer in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2.- Selection shall be made through written examination of the candidates.</p> <p>Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary dealing with Administration, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Deputy Director (Official Language), DAE / Constituent Unit of DAE - Member; 3. Chief Administrative Officer of any Constituent Unit - Member. 	Not applicable.

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers from the Kendriya Sachivalaya Rajbhasha Seva of the Government of India or from any other Central Government or State Government or Union territory:-

(a)(i) holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with a minimum service of five years as Junior Translation Officer in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix; and

(b) possessing the following educational qualifications, namely:-

(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and

(ii) Diploma or Certificate course

<p>in translation from Hindi to English and vice versa from a recognised institute or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Director (Official Language)	16* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion through Departmental Qualifying Examination:</p> <p>Senior Translation Officer in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary / Joint Secretary / Officer - in-charge, OLIC, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Director or Joint Director (Official Language), Department of 	Not applicable.

<p>for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Selection will involve written examination and interview of the candidates.</p> <p>Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers from the Kendriya Sachivalaya Rajbhasha Seva of the Government of India or from any other Central Government or State Government or Union territory:-</p> <p>(a)(i) holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum service of three years in level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p>	<p>Atomic Energy – Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary in-charge of Centralised Cadre, Department of Atomic Energy – Member;</p> <p>4. Chief Administrative Officer of any constituent unit - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Additional Secretary/ Joint Secretary/ Officer - in-charge, OLIC, Department of Atomic Energy - Chairperson;</p> <p>2. Director or Joint Director (Official Language), Department of Atomic Energy – Member;</p> <p>3. Director or Deputy Secretary in-charge of Centralised Cadre, Department of Atomic Energy – Member.</p>	
---	--	--

<p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Director (Official Language)	9*(2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'A' Departmental Promotion Committee	Not applicable.

<p>Assistant Director (Official Language) in level- 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2.- Eligible officers are required to appear for written examination followed by interview. The marks obtained in the written examination shall be taken into consideration by the selection committee while recommending the names for empanelment.</p> <p>Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers from the Kendriya Sachivalaya Rajbhasha Seva of the Government of India or from any other Central Government or State Government or Union territory:-</p> <p>(a)(i) holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum service of five years in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as</p>	<p>(for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary or Joint Secretary (Admn.) Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Joint Secretary or Officer-in-Charge, OLIC, Department of Atomic Energy - Member; 3. Head of any unit other than Bhabha Atomic Research Centre - Member; 4. Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member. 	
--	--	--

<p>the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Joint Director (Official Language)	2* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Deputy Director (Official Language) in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2.- Selection through promotion shall involve interview of the candidates.</p> <p>Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from the Kendriya Sachivalaya Rajbhasha Seva of the Government of India or from any other Central Government or State Government or Union territory:-</p> <p>(a)(i) holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre or</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary, Department Atomic Energy - Chairperson; Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member; Additional Secretary or Joint Secretary (Admn.), Department of Atomic Energy - Member; Joint Secretary / Officer-in-Charge, OLIC, Department of Atomic Energy - Member; A nominee of Secretary, Department of Atomic Energy from outside the Department - Member; Nominee of Department of Personnel and Training - Member. 	Not applicable.

<p>department; or</p> <p>(ii) with a minimum regular service of five years in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall</p>		
---	--	--

ordinarily not to exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Director (Official Language)	1*(2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Joint Director (Official Language) in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2.- Selection through promotion shall involve interview of the candidates.</p> <p>Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from the Kendriya</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Secretary, Department Atomic Energy - Chairperson; Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member; Additional Secretary or Joint Secretary (Admn.), Department of Atomic Energy - Member; Joint Secretary / Officer-in-Charge, OLIC, Department of Atomic Energy - Member; A nominee of Secretary, Department of Atomic Energy from outside the Department - Member; Nominee of Department of Personnel and Training - Member. 	Not applicable.

<p>Sachivalaya Rajbhasha Seva of the Government of India or from any other Central Government or State Government or Union Territory:-</p> <p>(a)(i) holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with a minimum service of five years in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications, namely :-</p> <p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the</p>		
--	--	--

<p>other as a compulsory or elective subject at degree level.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. 19/1/2018-CCS/11843]

A. R. SULE. Addl. Secy.